दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि) सं. 4188/2008

निर्णय की तारीख : 29.05.2008

धरमवीर सिंह ...याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री मलदीप सिद्धु, अधिवक्ता।

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली और अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा: कोई नहीं।

कोरमः-

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हां
2. रिपोर्टर के पास भेजा जाना है या नहीं? हां
3. क्या निर्णय को डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हां

न्या. अनिल कुमार

1. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उसके विरुद्ध पारित दिनांकित 6 अगस्त, 2007 के निलंबन आदेश को चुनौती दी है।

2. याचिकाकर्ता ने प्रतिविरोध किया कि वह दिनाँक 20 मार्च, 1995 से प्रत्यर्थी संख्या 3 के पास सफाईकर्मी के रूप में काम कर रहा है और वह एक यूनियन का सदस्य बन गया, जिसके कारण उसकी सेवाएं समाप्त करने की धमकियां दी गईं। इसलिए याचिकाकर्ता ने कुछ अन्य कर्मचारियों के साथ सि.रि.या. संख्या 2102/2001 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसका दिनांकित 20 फरवरी, 2002 के आदेश द्वारा निपटारा कर दिया गया, क्योंकि स्कूल की ओर से कहा गया था कि याचिकाकर्ता और अन्य कर्मचारियों की सेवाओं को अधिनियम और उसके तहत विरचित की गई गए नियमावली के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना समाप्त नहीं किया जाएगा।

3. इसके बाद याचिकाकर्ता ने फिर से एक और रिट याचिका रि.या.(सि.) संख्या 5868/2007, दायर की, जिसका भी दिनांकित 13 अगस्त, 2007 के आदेश द्वारा निपटारा कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थीगण ने यह वचन दिया कि याचिकाकर्ता की सेवाएं दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 और इसके तहत बनाए गए नियम के तहत कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना समाप्त नहीं की जाएंगी।

4. प्रत्यर्थी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया और उसे दिनांकित 19 सितंबर, 2007 को आरोप पत्र जारी किया गया। आरोप पत्र जारी करने से पूर्व, याचिकाकर्ता को दिनांकित 6 अगस्त, 2007 के पत्र द्वारा निलंबित कर दिया गया था, जिस पर उसने इस आधार पर आक्षेप किया है कि, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 के तहत बनाए गए नियमवाली का पालन नहीं किया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ पांच साल की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं और याचिकाकर्ता को जीवन निर्वाह भत्ता भी नहीं दिया गया है और जांच अधिकारी बचाव पक्ष के सहायक को भी अनुमति दिए बिना जल्दबाजी में जांच समाप्त करने पर अड़े हुए हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए प्रार्थना की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।

5. इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने कथूरिया पब्लिक स्कूल एवं अन्य बनाम शिक्षा निदेशक एवं अन्य, 2005 VI ए.डी. (दिल्ली) 893 में टी.एम.ए.पै फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 345 पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था कि यह उचित है कि गठित विशिष्ट अधिकरण को **शिक्षकों और कर्मचारियों की**

शिकायतों की सुनवाई से संबंधित कानूनी मामलों की देखभाल करनी चाहिए। टी.एम.ए.पाइ फाउंडेशन (पूर्वोक्त) पर भरोसा करते हुए खण्ड न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया था कि शिक्षक की *किसी भी* शिकायत की सुनवाई विशिष्ट अधिकरण को करनी चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अधिकरण द्वारा शिक्षक या कर्मचारी की शिकायतों पर विचार करने के व्याप्ति और परिधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और परिणामस्वरूप अधिकरण को शिक्षक या कर्मचारी के निलंबन के संबंध में सभी शिकायतों को सुनने में सक्षम होना चाहिए और इसलिए, दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम के तहत गठित अधिकरण को कर्मचारियों और शिक्षकों की सभी शिकायतों को सुनने में सक्षम होना चाहिए और जरूरी नहीं कि उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में प्रतिबंधित हो। खंड न्यायपीठ ने पृष्ठ 910 के पैरा 42 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:-

> "42. अधिकरण द्वारा शिक्षक या कर्मचारी की शिकायतों पर विचार करने के व्याप्ति और परिधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण पहले ही गठित किया जा चुका है। इस प्रकार, केवल इतना ही किया जाना चाहिए कि अधिकरण को शिक्षक या कर्मचारी द्वारा निलंबन के संबंध में सभी शिकायतों की सुनवाई करने में सक्षम

होना चाहिए। टी.एम.ए.पाई फाउंडेशन मामले (पूर्वोक्त) में शीर्ष न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि राज्य द्वारा आवश्यक विधायी कार्रवाई लंबित रहने तक, **गठित अधिकरण को कर्मचारियों और शिक्षकों की सभी शिकायतों की सुनवाई करने में सक्षम होना चाहिए और जरूरी नहीं कि वह उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) तक ही सीमित हो।** इसका परिणाम यह होगा कि यदि कोई शिक्षक निलंबन आदेश या उसके विस्तार से व्यथित है, तो मामले के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर अधिकरण के समक्ष शिकायत की जा सकती है।"

6. तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक उपाय के रूप में दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 के तहत गठित दिल्ली विद्यालय अधिकरण के समक्ष जाना है, ताकि यह विचार किया जा सके कि क्या दिनांकित 6 अगस्त, 2007 का निलंबन आदेश अपास्त किया जा सकता है और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर उसे अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है।

7. इसलिए, तथ्यों और परिस्थितियों में इस न्यायालय के लिए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने का कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ता को दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 और उसके तहत विरचित नियमावली के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपचार का उपयोग करना चाहिए और दिल्ली विद्यालय अधिकरण का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

8. इन परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। याचिकाकर्ता को दिल्ली विद्यायल शिक्षा अधिनियम, 1973 के तहत दिल्ली विद्यायल अधिकरण में जाने या किसी अन्य उपाय का उपयोग करने का अधिकार होगा, यदि उसके पास उपलब्ध हो। इन निर्देशों के साथ रिट याचिका और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दस्ती की गई।

मई 29, 2008 **न्या. अनिल कुमार**

'के'

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*